न्यायालय उप जिलाधिकारी हर्रैया बस्ती ।

वाद संख्या: 117 /15
कं0 वाद संख्या: T 2015171401260६

अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम बाबत ग्राम पायकपुर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती।

आर0 बी0 एस0 महाविद्यालय पायकपुर डिंगरापुर बस्ती द्वारा श्रीमती शशिकला सिंह। ——— बनाम ——— सरकार

निर्णय

वादिनी श्रीमती शशिकला सिंह पत्नी शकुन सिंह निवासी ग्राम अरबापुर पोस्ट विपरा गौतम तहसील व जिला बस्ती प्रबंधक आर0 बी0 एस0 महाविद्यालय, पायकपुर, डिंगरापुर, बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 223/0.045, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090 व गाटा संख्या 211/0.891 में से 0.025 है0 स्थित ग्राम पायकपुर को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर आर0 बी0 एस0 महाविद्यालय पायकपुर, डिंगरापुर, बस्ती का भवन व प्रांगण बना है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि अंकित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय। वादी संस्था के प्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी संस्था के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.01.2015 जो तहसीलदार हर्रैया द्वारा दिनांक 23.01.2015 को संस्तुति सहित अकृषिक घोषित किये जाने हेतु अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पायकपुर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1418–1423 फसली के खाता संख्या 116 के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090 है0 पर आर0बी0एस0 महाविद्यालय का नाम तनहा तथा खाता संख्या 123 के गाटा संख्या 211/0.891 है0 पर आर0बी0एस0 महाविद्यालय का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा संख्या गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090 है0 एवं गाटा संख्या 211मि0/0.025है0 भूमि पर आर0 बी0 एस0 महाविद्यालय का भवन व प्रांगण स्थित है। विवादित भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम पायकपुर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1418–1423 फसली के खाता संख्या 116 के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090है0 पर तनहा तथा खाता संख्या 123/0.891 है0 पर आर0बी0एस0 महाविद्यालय का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। पत्रावली में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं नजरी नक्शा, संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090 है0 एवं 211मि0/0.025 है0 पर आर0बी0एस0 महाविद्यालय, पायकपुर डिंगरापुर, बस्ती का भवन व प्रांगण स्थित है। भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है तो वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम पायकपुर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती की खतौनी सन् 1418–1423 फसली के 116 के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ङ/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228च/0.0120, 219/0.090 है0 एवं खाता संख्या 123 के गाटा संख्या 211मि0/0.025 है0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रुपया 59.03 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 137 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबंधक हर्रैया को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक 7 मई 2015

7/5/15
(आर0 बी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी
हर्रैया–बस्ती।

प्रतिलिपि छापा
22-6-19
25-6-19
20-6-19
26-6-19